न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **07/2018 अपील रसद**

व्यवस्थापक लैम्पस कोटड़ा, उचित मुल्य दुकान कोटड़ा बी एवं सी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये जॉच दल खाद्य एवं नागरीक आपुर्ति विभाग, जयपुर

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 59/17 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जॉच दल द्वारा दिनांक 21.07.17 को लेम्पस कोटड़ा ए व बी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जबकि सेन्टर ए का काई आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया गया। बी व सी का ही किया था। वक्त निरीक्षण अब्दुल खालीद पुत्र अब्दुल हबीब लैम्पस कोटड़ा के सहायक पद पर कार्यरत है जो मिले। लेम्पस का अन्य कोई कार्यकर्ता उपस्थित नहीं मिला। अब्दुल खालीद के पास दो पोइन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध मिली जिनके मशीन कोड 4927 व 4929 हैं। जॉच दल द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.07.17 को गलत पेश

की गई। जो अनियमितता बतायी गई वह भी गलत हैं। मशीन संख्या 4927 कोटड़ा बी व 4929 कोटड़ा सी में दर्ज स्टॉक प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टर में अन्तर भिन्नता होना मिला। इस कारण कुल 6 स्टॉक रजिस्टर एवं 2 वितरण रजिस्टर फर्द जब्ती बनाकर कब्जे राज लिये गये। गेहूॅ चीनी व केरोसीन के वितरण के स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किये गये। जॉच में 45.5 क्विंटल गेहूॅ अधिक मिला, 3983.4 लीटर केरोसीन के फर्जी ट्रान्जेक्शन किये गये हैं। चीनी का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि डीलर के पास दोनो सेन्टरो का कुल स्टॉक 28.36 क्विंटल होना चाहिये था। किन्तु डीलर के पास भौतिक सत्यापन पर शुन्य स्टॉक मिला। इस प्रकार डीलर के पास 28. 36 क्विंटल स्टॉक कम मिला। जो डीलर द्वारा निजी लाभार्थ दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट करता हैं। जिस कारण से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त कारणो से दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया जिससे क्षुब्द होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। जबकि जॉच दल द्वारा सारी बाते जॉच रिपोर्ट में केवल कयास के आधार पर ही लिखी गई हैं। मौके पर स्टॉक व मुल्य प्रदर्शन किया हुआ था। जिसके संबंध में जॉच दल द्वारा नाही तो अपीलान्ट को पुछा ना मुल्य प्रदर्शन को ही देखा गया। खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची दुकान पर उपलब्ध थी परन्तु मांगी ही नहीं गयी। निरीक्षण के समय प्राधिकार पत्र एवं दुकान का स्वीकृत नक्शा मांगा ही नहीं गया। अन्यथा उसी समय प्रस्तुत कर देते। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत आरोप आरोपित करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि 45.5 क्विंटल गेहूॅ अधिक मिलने का कथन गलत, मनगढंत एवं बनावटी हैं। जिस दिन गेहूॅ चेक किये गये थे उस दिन बरसात का मौसम होने से काफी उपभोक्ताओ द्वारा गेहूॅ मशीन में चढा दिये जाने के उपरान्त भी उपभोक्ता नहीं ले गये जिस कारण से

उपभोक्ताओ का गेहूँ पोते पड़ा हुआ था। यह बात जॉच दल को कही गई थी। उनके द्वारा मौके पर्चे में लिखने से इन्कार कर दिया गया एवं उसी आधार पर केस बना दिया गया। केरोसीन का कोई फर्जी ट्रान्जेक्शन नहीं किया गया। केरोसीन का वितरण नियमानुसार किया गया हैं। चीनी भी एक किलो कम नहीं थी। 1 सितम्बर 2016 के दिन जो स्टॉक पोते था उसे देख लिया जाता तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। 01.09.16 का स्टॉक शुन्य मानकर निरीक्षण किया गया था जो बिल्कुल गलत हैं। अपीलान्ट द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने हुए किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व सिक्युरिटी बहाल कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 21.07.17 को उचित मुल्य की दुकान लेम्पस कोटड़ा सेन्टर बी व सी का निरीक्षण किया गया। मौके पर लेम्पस के सहायक पद पर कार्यरत पीडीएस का सेल्समेन अब्दुल खालीद मौके पर उपस्थित मिले। जॉच दल द्वारा निम्न आरोप अपीलान्ट पर आरोपित किये गये। स्टॉक मुल्य प्रदर्शित नहीं किया जाना बताया। निःशुल्क उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं किया जाना बताया गया। खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिलना बताया। मौके पर प्राधिकार पत्र एवं दुकान का स्वीकृत नक्शा नहीं बताया गया। भौतिक सत्यापन करने पर सेन्टर बी व सी का गेहूँ स्टॉक के मुकाबले 187 क्विंटल पोते होना चाहिये था जबकि उसके पास शेष गेहूँ 232.50 क्विंटल मिला जो 45.5 क्विंटल गेहूँ अधिक पाया

गया। जबकि केरोसीन स्टॉक के मुकाबले 3983.4 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाना पाया गया। दोनो सेन्टरो की चीनी का कुल स्टॉक 28.36 क्विंटल होना चाहिये था। किन्तु डीलर के पास चीनी का स्टॉक शुन्य मिला। वास्तविकता यह है कि मौके पर स्टॉक व मुल्य प्रदर्शन का बोर्ड लगा हुआ था जिसमें सारे आंकड़े लिखे हुए थे। दुकान पर खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची उपलब्ध थी। प्राधिकार पत्र व स्वीकृत नक्शे भी उपलब्ध थे परन्तु जॉच दल द्वारा मांगे ही नहीं गये थे। अधिक गेहूॅ का कथन बिल्कुल गलत व मनगढंत तथा बनावटी हैं। अपीलान्ट के पास एक भी किलो गेहूॅ अधिक नहीं पाया गया। जिस दिन गेहूॅ चेक किया गया था उस दिन बहुत बारीश चढ कर आयी थी। काफी उपभोक्ताओ द्वारा गेहूॅ को मशीन में चढा दिया गया था परन्तु भीगने के डर से गेहूॅ लेकर नहीं गये थे। उपभोक्ताओ द्वारा इस गेहूॅ का पैसा भी जमा करा दिया था। जो गेहूॅ अवशेष पड़ा हुआ था वह इन्ही उपभोक्ताओ का था। वक्त निरीक्षण सेल्समेन द्वारा यह बात जॉच दल को बतायी भी गयी थी परन्तु उनके द्वारा यह पर्चे मौके में लिखने से मना कर दिया। सितम्बर 2016 की अवशेष चीनी 28.36 क्विंटल स्टॉक में मौजुद थी। मौके पर भी मौजुद थी पर उसको देखा ही नहीं गया। स्टॉक को शुन्य मानकर निरीक्षण किया गया। इस प्रकार गलत रूप से पर्चा कायम करते हुए अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के जवाब पर साक्ष्य सबुत नहीं लेकर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। केरोसीन का जब आवंटन ही नहीं हुआ तो स्टॉक कहा से आयेगा। अर्थात उक्त त्रुटी पोस मशीन की तकनीकि त्रुटी हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सेन्टर की वितरण व्यवस्था पुनः प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि दिनांक 21.07.17 को कोटड़ा लेम्पस द्वारा संचालित उचित मुल्य की दुकान कोटड़ा बी व सी का खाद्य

विभाग द्वारा जॉच दल द्वारा दिनांक 21.07.17 को संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकानो के सेल्समेन श्री अब्दुल खालीद पुत्र अब्दुल हबीब मौके पर मिले जिनके द्वारा दुकान का निरीक्षण करवाया गया। दुकानो पर दो पोईन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध मिली। जिनके मशीन कोड नम्बर 4927 व 4929 थे जिनकी जॉच की गई। दोनो सेन्टरो के प्राधिकार पत्र 95/83 व 542/89 जारीशुदा मिले। निरीक्षण में मुख्यतः स्टॉक के मुकाबले 45.5 क्विंटल गेहूॅ अधिक मिला। केरोसीन का 3983.4 लीटर का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाना बताया गया। लेवी चीनी 28.36 क्विंटल स्टॉक में होनी चाहिये थी पर मौके पर स्टॉक शुन्य मिला। इस प्रकार डीलर द्वारा निजी लाभार्थ 28.36 क्विंटल लेवी चीनी का दुरूपयोग किया गया। मौके पर स्टॉक रजिस्टर मांगने पर उपलब्ध नहीं करवाये साथ ही स्टॉक मुल्य प्रदर्शन किया हुआ भी नहीं था। खाद्य सुरक्षा परिवारो की ई सूची भी उपलब्ध नहीं करवायी गई। अपीलार्थी द्वारा जो कथन किये गये है वह कथन विश्वसनीय नहीं हैं। उस दिन बारीश होने से उपभोक्ताओ द्वारा अपना गेहूॅ लेम्पस गोदाम में ही रखा गया था। जो बरसात बन्द होने के बाद उपभोक्ता ले जाना चाहते थे। लेम्पस विक्रेता द्वारा महज काल्पनिक आधारो पर मनगढंत बचाव हेतु अपील में कथन किये गये है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं हैं। साथही डीलर अपीलान्ट द्वारा चीनी का भी दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वितरण व्यवस्था में काफी गम्भीर किस्म की अनियमितता की गई हैं। साथही प्राधिकार पत्र की शर्तो का भी उल्लंघन किया है। गम्भीर किस्म की अनियमितता होने के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 106/17 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना कोटड़ा में दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी कोटड़ा द्वारा बाद अनुसंधान अपीलार्थी को धारा 3/7 ई सी एक्ट का अपराधी साबित पाये जाने से उसके विरूद्ध माननीय न्यायालय सीजेएम, उदयपुर के न्यायालय में चार्जशीट संख्या 132/17 दिनांक 30.11.

17 से दिनांक 09.01.18 को चालान पेश किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्राधिकार पत्र अपीलार्थी का निरस्त किया गया है वह सही हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जाकर अधिनस्थ नयायालय का आदेश बहाल रखा जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा 3983.4 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रांजेक्शन कर पोस मशीन में वितरण बताया गया हैं। स्टॉक के मुकाबले 28.36 क्विंटल चीनी भी कम मिली एवं स्टॉक के मुकाबले 45.50 क्विंटल गेहूँ अधिक मिले। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्तो का एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का उल्लंघन करना पाया गया है जिसके तहत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर